कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुडपार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–11.10 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित एथेनॉल/इएनए क्षमता–195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट–7 मेगावॉट के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक **12/09/2023, को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–योगेश स्मृति भवन अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा** (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार **मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुडपार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–11.10 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित एथेनॉल/इएनए क्षमता–195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट–7 मेगावॉट के द्वारा** पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 09/08/2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र इकानॉमिक टाईम्स, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 09/08/2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई **दिनांक 12/09/2023, को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–योगेश स्मृति भवन अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु **कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा,** क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत–अमरताल, किरारी, खिसोरा, मुडपार, पौना, तिलई, तागा, तरौद, बनाहिल, खटोला, रोगदा, पकरिया, बरगवां, कल्याणपुर, झलमला, कापन, खोंद, परसाही, तहसील–अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई

दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित **तिथि 12/09/2023, को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–योगेश स्मृति भवन अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री एस.पी.वैद्य अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी से जनसामान्य को अवगत कराये गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री विपिन कुमार, एमपीएल इन्वायरोन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना)** के द्वारा मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुडपार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–11.10 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित एथेनॉल/इएनए क्षमता–195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट–7 मेगावॉट के द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से जनसामान्य को अवगत कराया जा रहा था। उसी दौरान सामने से जन समूह द्वारा प्लांट लगाना बंद करो, बंद करो, हुटिंग, हो–हल्ला, चोरी–छिपे जन सुनवाई बंद करो, बंद करो का नारा लगातार लगाये जाने लगा, प्लांट का विरोध करते है। जन सुनवाई का विरोध करते है। जन सुनवाई यहां पर नहीं होना चाहिए। मुडपार में होना चाहिए। प्लांट प्रबंधक मुर्दाबाद–मुर्दाबाद, हम जन सुनवाई का विरोध करते है। जमीन के दलालो को, जूता मारो सालो को।

अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी, मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजेन्द्र भोसले, ग्राम मुडपार :–** मैं अपना दो शब्द बोलना चाहता हूॅ। आज जो यहां विरोध कर रहे है, पंच, सरपंच के द्वारा एनओसी दिया गया है। गांव के जमीन को पंच, सरपंच के द्वारा बेचा गया था। गांव के नागरिक को कोई आपत्ति नहीं है। मैं, प्लांट लगाने के समर्थन में हूॅ। प्लांट लगना चाहिए। गांव के मूलभूत सुविधा को प्लांट के प्रबंधन पूरा करेगे। मैं अपना प्लांट के समर्थन में अपना मत रखता हूॅ। मैं लिखित में भी अपना समर्थन प्रस्तुत करता हूॅ।

2. **श्री सहदेव लहरे, ग्राम पंचायत बोडसरा :–** मैं प्लांट लगने में सहमति देता हूॅ।

3. **श्री गणेशराम पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट, खुल जाहिना बहुत नुकसान है। इसलिए विरोध मा आये हव। आज कहथे आदमी मन, प्लांट ला, खोल देवा, खोल देवा। जैसे भी करके हमर गांव के जमीन ला 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले हमर गावं के जमीन ला खरीदीस। सरकारी जमीन ला खरीदीस। पहले कहय रहिस स्कूल खुलही, कॉलेज खुलही, गार्डन बनही, कहे रहीस, बोले रहीस हे। यह प्लांट 195 किलोलीटर प्रतिदिन व ये प्लांट बिहार में खोले हवय। 85 किलोलीटर वाला है। ओमा अतका प्रदूषण होवत थे। आसपास के गांव, स्कूल, आसपास के राहईया। किसान मनला न ठीक से पानी मिलत हवय, अन्य ला नहीं खावत हे, जहर ला खवत हे। काखर वजह से, वो प्लांट खुले हवय, ओखर वजह से। आज हमर गांव मा, प्लांट खुल जाही। आज नहीं 3, 4 साल बाद खुल जाही। आज हमन 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मन जाबो। आने वाला पीढी ओखर प्लांट के दुरगती सही। गांव के जमीनला, तोर पंच, सरपंच जमीन बेचीस हवय। आदमी मन के सहमति रहीस हे क्या ? हमन जीतवाये हे। हमन ला पूछीस क्या, कोई मोर लिख के देवय होही। चुनाव के पहली सबले साईन करवाये रहीस हे, प्लांट के विरोध करथव कहीके। चुनाव के बाद वो पलट गये। मोर सामने बोलिस हे मैं प्लांट खोले के पक्ष मा हव। घर–घर जाकर साईन करवाये रहीस, कि मैं प्लांट ला खोले नहीं देवत। आज वोही आदमी खुद सहमति देवत प्लांट खोले बर। आज प्लांट खुल जाही तो आसपास के गांव के क्या दुर्गती हो जाही। कोई ला न पीये के पानी मिलये, न शुद्व हवा मिलय। ओखर दुष्प्रभाव पडही। प्लांट खुले के चार रास्ता हे, चारो कोती आदमी आवत–जावत। प्लांट बीच रास्ता मा खुलत हवय। क्या हालत होही बता, 1 कि.मी. मा स्कूल हवय, 3 कि.मी. मा स्कूल हवय। ऐती जाहा तो पूरा किसान के

खेत हवय, खेती बाडी होते, आज बाडी मा साग–सब्जी उगा के जिवत–खावत हन। प्लांट खुलही तो साग–सब्जी उगना बंद हो जाही। साग–सब्जी काला खाही। खोलना है तो अन्ते जगह मा खोल लेवय, छत्तीसगढ़ मा। अतका कन भाटा है खोज ले, कतका कन भाटा जमीन हे। 5 कि.मी. मा, न आदमी रहय, न कोई रहय। प्लांट खुले के बाद क्या होही। रोज गाडी चलही एक्सीडेंट होईही, बच्चा मन के आये–जाये के सब के परेशानी है। सबके भविष्य बर्बाद होही। नौकरी पाही कहत हे, कई झन ला नौकरी देही भैया, 1000, 500 ओखर ज्यादा आदमी के नुकसान होही। पर्यावरण जाही, आदमी मन के हेल्थ, स्वास्थ्य भी जाही। ऐला सोच विचार करले प्रबंधन हा। ओखर से अच्छा स्कूल खोले, हास्पिटल खोले। तभी तो ओखर तरक्की होही। प्लांट खुलही तो पेट्रोल के रेट हा 100 रूपये के जगह 70 रूपये हो जायही बोलत हे। प्लांट खुल जाही तो गांव के क्या हालत होही, पूरा बर्बाद हो जाही। आसपास के प्लांट मा जाकर देख लेवा। आसपास के खेत के फसल होवत होही तव। फसल कितना नुकसान होवत हे, जाकर देख लेवा। पानी के दूर के बात हवय। प्लांट के विरोध मा हव। प्लांट मत खुलये। प्लांट के अलावा अच्छा चीज खुले।

4. **श्री दिलेश्वर विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत अमरताल, शिव सेना जिलाध्यक्ष जांजगीर–चांपा :–** प्लांट प्रबंधन से पूछना चाहत हव कि, ये क्षेत्र मा प्लांट संचालित हो जावत हे। ये भाई मन विरोध नही करत हे, इन मन से मैं पूछना चाहत हव कि, भईया हमरो भी तो बाल–बच्चा है क्षेत्र मा। हमरो तो खेती–बाडी हे क्षेत्र मा। प्लांट के हम पूरा विरोध करत हन। भाई मनके जो मांग है वो पूरा जायज मांग है। जायज मांग के पूरा शिवसेना पूरा समर्थन करत हे, मुडपार के भाईमन ये क्षेत्र मा सब्जी के उपजाऊ करथे। ऐखर केमिकल पदार्थ है, वो उडकर सब्जी मा जाही। ओई सब्जी ला, हमर तिलई बाजार मा बेचे जाथे। वो सब्जी से पूरे क्षेत्र मा गंभीर बीमारी फैलही। ये क्षेत्रमा जतना भी फसल उपजाऊ हे, बंजर हो जाही। सांस के बीमारी हो जाही, आस–पास मा स्कूल खुले हे। वहां भी थोडा मुआयना करा लेवा। ये स्कूल के बच्चा मन वहां आथे–जाथे। इमन ला सांस लेनेमा दिक्कत होही। एमन ला, गंभीर बीमारी होही, गला के कैंसर होही, ब्लड के कैंसर होही। ये सारा के सारा बीमारी के जवाबदारी होही तो कौन होही। मैं पूछना चाहत हव। **प्लांट लगाना बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। मुडपार के ग्रामवासीयों की मांग को पूरा करो, पूरा करो। वो क्षेत्र के भाई–बहनी मन जांजगीर जाथे पढेला।** एला भी ध्यान मा रखा जाये और भी प्लांट संचालित है, ये बच्चा मनला और भी सुविधा दिया जाना चाहिए। ये भाई मन के जो जायज मांग है शिवसेना पूरा पुरजोर समर्थन करत हे। ये मनके जायज मांग ला पूरा नहीं करही तो ये जांजगीर–चांपा मा उग्र आंदोलन करना पडही। **प्लांट लगाना, बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। हम तुम्हारे साथ है, साथ है।**

5. **श्री जलेश्वर यादव, ग्राम मुडपार** :– गांव के विकास के लिए प्लांट खोलना जरूरी है। रोजगार मिलही। बीच–बीच में हुटिंग, शोर शराबा। मैं प्लांट के समर्थन में हव। 300–400 लोगों को रोजगार मिलही, गांव के विकास होही, मुडपार में होही, परसदा मा होही, आस–पास के गांव मा होही। मैं प्लांट के समर्थन मे हव।

6. **श्री विनोद कुमार साहू, ग्राम मुडपार :–** ये जन सुनवाई बर, पूरा छत्तीसगढ ला आमंत्रित करे हे, कि प्रभावित क्षेत्रवासी ला आमंत्रित करे हे। बाहरी लोग आके यहां गुण्डागर्दी करते है। बाहरी लोगों को हमारे गांव से क्या मतलब है। खुल जाये, खुल जाये। बाहरी छत्तीसगढ के सभी व्यक्ति जा सकते है, ऐसे में बाहरी लोग आयेगें ही। मैं प्लांट निर्माण का विरोध करता हूॅ। बाहरी लोग बैठे है, उन्ही लोग बोल रहे है, खुले, खुले, खुले। हमारे गांव से है, जो पहले बोलते थे नहीं खुलेगा। हम विरोध करते है। अब बोल रहे है खुलेगा, खुलेगा अब मैं समर्थन में हूॅ। मैं प्लांट निर्माण का पूर्ण रूप से ग्रामवासीयों के तरफ से विरोध करता है। प्लांट नहीं खुलना चाहिए। स्कूल खुले, हास्पिटल खुले। स्कूल खुलेगा तो हमारे गांव के छोटे–छोटे बच्चे है, उनको शिक्षा मिलेगा। हॉस्पिटल खुलेगा, तो क्षेत्र के वासियों को इलाज के लिए सुविधा मिलेगा। जांजगीर–अकलतरा जाने की जरूवत नहीं होगी। हमारे गांव में होगा और पूर्ण रूप से विरोध करता हूॅ।

7. **श्री कमल टंडन, ग्राम पंचायत अमरताल** :– एथेनॉल प्लांट खुलना चाहिए। रोजगार सभी के लिए है। जैसे कि भैया बोले है बाहरी लोग, बाहरी लोग। हम तो ग्राम पंचायत अमरताल के है। प्लांट एथेनॉल खुलना चाहिए। तभी तो भविष्य है, जांजगीर जिले मा। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ एथेनॉल का जरूवत है।

8. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** ये जन सुनवाई, उस गांव में नहीं हो रही है, जिस गांव में हम चाहते है, इस गांव में कम से कम लोग पहुंचे। कम से कम लोग अपना विरोध जता सकें। सबसे पहले मैं जन सुनवाई का अकलतरा में न हो, इसका विरोध करता हूॅ। ये जन सुनवाई जिस जगह में प्लांट लग रही है उस जगह में जन सुनवाई होना चाहिए। इस प्लांट के लिए बोला गया है कि भूमिगत जल का उपयोग होना है। भूमिगत जल के बगैर ये प्लांट नहीं चल सकता है और अकलतरा में 20 वार्ड है। 20 वार्ड में पानी की समस्या से जूझ रहे है। 20 वार्ड में पानी–पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर भूमिगत जल उपयोग होगा, तो क्या शासन प्रशासन जवाबदारी लेगी कि अकलतरा में पीने का पानी मिलेगा। किसानों का जो टयूबवेल उस इलाके में चल रहे है। उनके टयूबवेल में पानी आयेगा कि नहीं आयेगा। भूमिगत जल का दोहन होगा, तो निश्चित रूप से वॉटर लेवल और नीचे जायेगा। मेरे बात पर भरोसा नहीं है, तो न्यूज पेपर को कोई

भी कटिंग उठाकर देख लिजिये। 20 वार्ड पानी पीने के लिए तरस रहे है। सिंचाई तो छोडो। किस आधार पर भूमिगत जल स्त्रोत के लिए उद्योग इनको परमीशन दिया गया है। कैसे दिया गया है, ये भी समझ से परे है। ये जन सुनवाई हो रही है और जन सुनवाई जिस तरीके से किया जा रहा है। इस तरीके का विरोध करते है। आप संबंधित गांव में जन सुनवाई कराईये। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आयेंगे। आकर अपनी बात रखेंगे। जो संबंधित क्षेत्र है, उस संबंधित क्षेत्र में रखिये। वहां से 7 कि0मी0 दूरी पर रखने की कोई जरूवत नहीं है। कोई हल्ला नहीं होगा वहां पर जितने लोग है सब शांति प्रिय लोग है। सब भाई लोग शांति तरीके रूप से अपनी बात को रख सकते है। अकलतरा में जन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। इस जन सुनवाई को तत्काल रद्द किया जाये। जन सुनवाई को संबंधित गांव में रखा जाये क्या दिक्कत है। भाई हम सारे लोग तैयार है ना। सारे लोग तैयार है, मुडपार में रखिये जन सुनवाई, आपको प्लांट लंबे समय तक चलाना है ना। गांव वालो के साथ मिलकर चलोगे ना। वहां के लोग नहीं चाहते, तो नहीं लगना चाहिए क्या दिक्कत है। संविधान में क्या लिखा है जो भूमिगत जल है। पहले किसका है पीने के पानी का पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार किसका है किसान का है। तीसरा किसका है। उद्योगपति का है। जब तक पीने का पानी व्यवस्था कर दिजिये पूरे 20 वार्ड में। सारे किसानों के सिंचाई के लिए साधन की व्यवस्था हो जायेगी। आप लगाईये प्लांट लगा लिजिये प्लांट। आप ग्राउंड वॉटर का उपयोग मत कीजिए, भूमिगत जल का उपयोग मत किजिए, लगाईये प्लांट क्या दिक्कत है। आप भी महानदी से ले आओ पानी क्या दिक्कत है। इनको हमारा जो पीने का पानी है वो हमारे खेतो का पानी है। जिससे हम लोग कई पीढियों से तर रहे है। जो हमारा जल है, जो हमारा जंगल है, जो हमारा जमीन है उसको ये लूटना चाहते है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते है। इंकलाब जिंदाबार, इंकलाब जिंदाबार। जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो, के नारे लगाये गये।

9. **श्री प्रहलाद गोस्वामी, ग्राम मुडपार :–** अभी जो इस प्लांट के लिए, जो जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। भरे गर्मी में इसी प्लांट प्रबंधक द्वारा गर्मी में हम लोग पानी के किल्लत के लिए इतना जूझे है। दोनों तालाब मुडपार के तालाब में पानी नहीं था। नहर, तालाब को पूरा बंद, करवा दिया गया था, प्लांट प्रबंधक। धान का भूसा जो होता है, वो आंख में पडता है। प्रदूषण के लिए उसमें कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे नाली, पानी को प्लांट प्रबंधक द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्या। होनी चाहिए ना। प्लांट प्रबंधन का मनमानी कुछ भी कर लेगा। मुडपार की जनता इसको नहीं सहेगी। इस चीज को ध्यान में रखिये। इस प्लांट का पुरजोर विरोध ग्रामवासी करते है। मुडपार में प्लांट लगने का, हम लोग पूरा विरोध करेंगे। तब तक रहेगें तब तक पूरा विरोध करेगें। हमारी मांग है, इतना बडे जिले में मेडिकल कॉलेज, इतना बडा जमीन है

मेडिकल कॉलेज लगा दो। लगाओ मेडिकल कॉलेज लगाओ, हम सब पूरा समर्थन करते है इसका। ऐसे प्लांट प्रबंधक नहीं चाहिए, जो किसानों को खून चूसे और दलालों को भिडाके हमारे जमीन को हडपे। बिल्कुल हम इस प्लांट प्रबंधक का विरोध करते है। **जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को, जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को, के नारे लगाये गये।**

10. **श्री जयशंकर साहू, ग्राम मुडपार :–** प्लांट खुल रहा है, जो हमारे मुडपार में उसका मैं विरोध कर रहा हूॅ। प्लांट खुलने के बाद जितने प्रकार की गंदगिया है। बहुत सारी बीमारी आयेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर आयेगें, हमारे ऊपर आयेंगी, हमारे पीढियों के ऊपर बढते रहेगी, मैं इसका विरोध करता हूॅ। जो पंच, सरपंच ने किया है, उसका विरोध करता हूॅ। जो ये जन सुनवाई यहां हो रही है, वो पूरी रूप से अवैध है, इसको ग्राम पंचायत मुडपार में करना चाहिए। वहां के नागरिक है, सब वो अपना सुझाव दे सकें। ये साईड से जो भी आ रहे है सब वो मुडपार, तिलई साईड के नहीं है।

11. **श्री विष्णु प्रसाद कश्यप, ग्राम पकरिया :–** आज ग्राम पंचायत मुडपार मा, फैक्ट्री खुले के संबंध मा, सूचना मिले रहीस हे, लिखित रूप मा। प्लांट खुलना चाहिए। दिल्ली से आकर आदमी यहां राय प्रकट कर सकता है, कि रायपुर से आकर या कहीं से भी। पूरे इंडिया से आकर यहां राय प्रकट कर सकता है। दिल्ली से आकर हानि–नुकसान के बारे क्या प्रकट कर सकता है। इस टाईप से समर्थन है, तो वो गलत है। प्लांट खुलना चाहिए, ये अपनी जगह है। वास्तव मा वहां पर कोई जगह है, गांव वालो को आपत्ति नहीं है। विकास होना चाहिए, हर गांव का विकास होना चाहिए। कोई प्लांट खुलता है, तो कोई कर्मचारी को नौकरी नहीं मिलता ये भी सत्य है। अगर गांव के लोग बोल रहे है, कि वहां पर चारो तरफ का रास्ता है और उस जगह में गलत है। उस जगह में नहीं खुलना चाहिए। किसी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से उसको एनओसी या ग्रामसभा का अनुमति होना चाहिए। ग्रामसभा ग्राम पंचायत से बडी होती है। ग्रामसभा का फैसला मतलब ब्रम्हा का फैसला अगर ग्रामसभा का फैसला है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक काटने का हक नहीं है। उसमें गांव के लोग विरोध कर रहे है तो गांव में ही बैठक बुलालो, गांव में वहां सब का सहमति ले लो। सहमति लेने के बाद उनकी कुछ मांग होगी। तो मेरी सहमति है। आम जनता की राय से मैं इसका विरोध करता हूॅ।

12. **श्रीमती मिथलेस ललित बघेल, ग्राम पंचायत अमरताल सरपंच :–** वहां पर वर्तमान में प्लांट खुलेगा वहां पर मेरे गावं की खेती आती है। हर कीमत पर इसका विरोध करूंगी, खुलने भी नहीं दूंगी। हर दिन रोज 45000 लीटर पानी पूरा खपत होगी।

कंपनी खुलेगी इसमें, इसमें मतलब ही नहीं समझते होंगे गांव वाले लोग। इसमें क्या बनता है। ऐमा डीजल, पेट्रोल करही ऐमा कतका धुआं निकलही, कतका हमर आंखी मा इन्फेक्शन होही। हमर लोग लईका परिवार, हमर आस–पास के जितका क्षेत्र है। ऐमा आही पानी पीये बर तरस जाबो। 15 लाख लीटर ऐमा गंदगी निकलही। 15 लाख लीटर/दिन गंदगी निकलही। ऐमा के गंदा ला, कहां वेस्ट करही। इंग्लिस मा लिखे हे। इंग्लिस के कौन–कौन गांव के जनता समझते, मोला बतावो। सरपंच मन भी नहीं समझे। मेन प्वाइंट को दबा दिया गया है, इंग्लिस में लिख के काम किया गया है। इसको हिन्दी में लिखना चाहिए। कई जगह सरपंच को भी पता नहीं रहता है, इसमें क्या लिखा है। हम लोग थोडा पढे–लिखे लोग है उसमें देखते है उसमें इंग्लिस में लिखा है। इसमें क्या होगा, गंदी नाला बहाने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग उसमें नहाते है। कोई साधन नहीं है, सब चीज का सुविधा करें। इसका पूर्ण रूप से विरोध करते है, हम लोग। इसको किसी भी कीमत में नहीं खुलना चाहिए। हम लोग नहीं झुकेंगे। कोई भी कीमत में, इसको खुलने नहीं देंगे। मैं इसक विरोध करती हूॅ पूरी तरीके से। मेरे ग्राम के व आसपास के क्षेत्र को लेकर जाना पडे लेकर जाउंगी। मैं कोई भी विरोध में खुलने नहीं दूंगी। नहीं खुलने देंगे।

13. **श्री भूपेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम–मुडपार :–** मैं चाहता हूॅ कि ऐन्थॉल प्लांट खुले। क्योंकि इससे हमारे गांव का विकास होगा, हमारे गांव के लोग आगे बढेगें। शिक्षा का विकास होना चाहिए। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था)**

14. **श्री सोनू, ग्राम–तिलई :–** मेरा सहमति है।

15. **श्री लिलवाराम पटेल, ग्राम–मुडपार :–** बहुत अच्छा चीज है, लईका मन ला रोजी–रोजगार नहीं मिलत हे। मोर विचार हे, खुलना चाहिए। गांव मां खुलही प्लांट, सब लईमा मन ला रोजी–रोजगार मिलही। गांव मा प्लांट खुलही तो गांव मा काम करही। गांव मा खुले मोर समर्थन है। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था, जमीन के दलालो को, जूता मारो सालो को के नारे लगाये जा रहे थे।)**

16. **श्री संजय कुमार कश्यप, ग्राम–तिलई :–** मेरे हिसाब से प्लांट खुलना चाहिए। हम सब भाई–बहिन यही बोल रहे हे। लोग रोजगार के लिए बाहर व दूर–दूर जाते है। इससे हम यही रोजगार पायेंगे। हमारे बच्चे भी यही रोजगार करेंगे। मेरा ये है कि प्लांट खुलना चाहिए। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था, जमीन के दलालो को, जूता मारो सालो को के नारे लगाये जा रहे थे।)**

17. **श्री महेन्द्र सिंह :–** ये जन सुनवाई सर्वप्रथम ग्राम पंचायत मा होनी चाहिए, न कि नगर पालिका में। ग्राम के युवा इसका विरोध कर रहे है, ये कहां पर गलत है, जन सुनवाई को गांव में करना चाहिए। इन लोगों का मांग है, सटीक है। इसमें भूमिगत जल का सही बात बोले है। यहां पर उद्योग की कमी नहीं है। जितने भी उद्योग है, सब वे भूमिगत जल का उपयोग कर रहे है। भूमिगत बाहर आ रहा है। उसको प्लांट में उपयोग किया जा रहा है। ऐश उड रहा है, रोड में आने–जाने में इतना परेशानी हो रहा है। बाईक से जायेंगे तो, उस परेशानी को झेलेगें। राईस मिल है, प्लांट है रोड से जाने में इतना परेशानी होता है, भूसा उडा रहे है। आंख में पडता है। पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो चुका है। हम इसका विरोध करते है। जो भी भाईयों, इसमें सोच रहे है, कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इसके भुक्तभोगी है। किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। ये प्लांट बहुत छोटा है इसमें बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने रिश्तेदारो को लाकर लगायेगें। आप लोग इंजीनियरिंग करोगे, गांव में बैठे रहोगे।

18. **श्री टिकाराम डहरिया, ग्राम–अमरताल :–** हमन गांव वाले के साथ मा आये हन। हमर कोती से पूरा सहयोग है प्लांट लगाये।

19. **श्री छतराम साहू, ग्राम–मुडपार :–** मैं प्लांट के पक्ष में हूॅ। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था।)**

20. **श्री सुमित प्रताप सिंह :–** एथेनॉल का, जो प्लांट लगाया जा रहा है। देखेगें कि ये किसानों के लिए बहुतम फायदे का चीज है। जब चांवल का, धान का कोई भी चीज सही उपयोग लाया जायेगा। निश्चित ही वो चीज किसानों के फायदा के लिए होगा। पर्यावरण की उद्देश्य की बात है, कि यह अच्छी चीज ऐसा प्लांट लगना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि इसका जन सुनवाई भी नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लांट लगना चाहिए। इस प्लांट लगने का मैं समर्थन करता हूॅ। सरकार से और भी कहता हूॅ कि हमारे क्षेत्र में और भी आकर लगाये। ऐसा प्लांट बिल्कुल लगना चाहिए। प्लांट लगेगा, ऐसा प्लांट लगना चाहिए। पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किसानों के हित के लिए भी है। जहां पर किसानों के हित के लिए रहेगा तो हम लोग खडे रहेंगे। ऐसे प्लांट को लगना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की ओर से इसका समर्थन करता हूॅ। प्लांट लगे, एक और भी लगे। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये)**

21. **श्री रामराज कुर्रे, ग्राम तिलई :–** मैं इस जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूॅ। संबंधित ग्राम पंचायत है, जिसने एनओसी दिया है, उसका घोर निंदा करता हूॅ। जब ये प्लांट खुलेगा, तो 500 किलोमीटर में दो स्कूल है। जहां सैकड़ो की संख्या में

छात्र पढने आते है। बच्चो को क्या होगा, बार–बार आईफ्लू होगा, दमा होगा, खांसी होगा। ये प्लांट खुलने में मैं घोर विरोध कर रहा हूॅ। हमारे क्षेत्र के जनता विधायक विरोध करने के लिए कहां गये है। आप जन सुनवाई में आकर इसका विरोध क्यो नहीं किये हो। ये प्लांट खुलना नहीं चाहिए। इसका मैं हमेशा विरोध करते रहूंगा।

22. **श्री राजेश श्रीवास, ग्राम पंचायत बोडसरा :–** एथेनॉल प्लांट खुलने का समर्थन करता हूॅ।

23. **श्री हरप्रसाद पटेल, ग्राम–हाथीटिकरा :–** एथेनॉल प्लांट खुलने का समर्थन देता हूॅ।

24. **श्री अजय कुमार सूर्यवंशी, ग्राम–मुडपार :–** एथेनॉल प्लांट खुलही हमर गांव के संगी मन ला रोजगर मिलही खुलना चाहिए। इसलिए मैं समर्थन करत हव। मोर ख्याल से खुलना चाहिए।

25. **श्री अनिल डहरिया, ग्राम–अमरताल :–** मोर गांव के साथ पूरे 25 आदमी आये हवय। ओमा पंच हवय, सरपंच हवय सब शिक्षित बेरोजगार हे सब समझदार है। पूरजोर प्लांट के समर्थन में है।

26. **श्री अंकित सिंह सिसोदिया, अकलतरा :–** जन सुनवाई यहां पर क्यों हो रही है, जहां पर प्लांट खुलना है। वहां पर जन सुनवाई होना चाहिए। क्यों नहीं हुई। ये जनसुनवाई अकलतरा में क्यों हुआ। ये मेरा एक सवाल है। ये जन सुनवाई जिस क्षेत्र में प्लांट लग रहा था, वहां होना था। मैं ये जन सुनवाई का जगह है उसका विरोध करता हूॅ। प्लांट वहां लग रहा है तो, पानी की व्यवस्था होगी। उस प्लांट के लिए पानी कहां से आयेगा। इसको बताने का कष्ट करें। यहां पर प्लांट खोले है यहां पर लगातार कोयले की गाडियां चल रही है। अकलतरा का मौसम है, हम लोग प्रदूषण को झेल रहे है। जन सुनवाई के जगह का मैं विरोध करता हूॅ। ये जन सुनवाई जहां पर प्लांट लग रहा है, वहां पे ये जन सुनवाई होना चाहिए। ये जगह का विरोध कर रहा है फिर से। वहां के लोगों को सूचना के, वहां पर जन सुनवाई होना चाहिए। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था।)**

27. **श्री भूपेन्द्र गोस्वामी, ग्राम–मुडपार :–** सबसे पहले इस प्लांट की जनसुनवाई मुडपार मे होना था। नियम के तहत् जो गांव प्रभावित होता है। उसी ग्राम में जन सुनवाई होना चाहिए। उस गांव के लाखों हजारो पेड को काट कर, परसा का वृक्ष होता है, जिसमें लासा होता है। लासा के नाम से वो गांव प्रसिद्व है। उस लासे हजारो गांव चलते थे। उस पेडो को काट–कर पर्यावरण जन सुनवाई किया जा

रहा है। ये कहां का नियम है सर। वहां पर सालाना लाख से, दो लाख रूपये लासा से होता था। इस जन सुनवाई को यहां न करके रदद करके, ग्राम–मुडपार में किया जाये हम ग्रामवासी उसका सहयोग करेंगे। जन सुनवाई का न कि प्लांट का। ऐसे प्लांट का ग्रामवासी घोर विरोध करते है। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था।)**

28. **श्री विनोद कुमार पाटले, ग्राम–तरौद** :– श्री श्याम एथेनॉल प्लांट का समर्थन करता हूॅ। मैं प्लाट खुलने का समर्थन करता हूॅ।

29. **श्री गुलजार पाटले, ग्राम–तरौद** :– मैं श्याम एथेनॉल प्लांट का समर्थन करता हूॅ। समर्थन के साथ ही ग्रामवासियों को हर सुविधा मिले, इस नाम से समर्थन करता हूॅ कि किसी भी चीज की परेशानी मत हो। हमारे ग्राम के बाजू में बहुत बडी महानदी खुली है। सीएसआर मद जिस ग्राम में प्लांट होता है उसको सीएसआर मद मिलना चाहिए।
बीच–बीच में हुटिंग व शोर शराबा हो रहा है।

30. **श्री संजय कुमार बंजारे, ग्राम–बलौदा** :– हम लोग इस प्लांट का घोर विरोध करते है। हमारे ग्राम पंचायत अमरताल में और भी प्लांट खुल रहा है। सफेद कपडे को धोने के बाद उसको टांग दीजिए रात भर में देखिये कि वो कमीज पूरा काला पड जायेगा। इसके बाद भी इस प्लांट को खुलना नहीं चाहिए। जबकि आने वाले समय में हमें भी बहुत पानी का कमी पडेगा।
बीच–बीच में हुटिंग व शोर शराबा हो रहा है।

31. **श्री सुंदर लाल पटेल, ग्राम–हाथीटिकरा** :– प्लांट का समर्थन करता हूॅ। एथेनॉल प्लांट लगना चाहिए।
बीच–बीच में शोर शराबा हो रहा है।

32. **श्री दयाराम पटेल, ग्राम–मुडपार** :– प्लांट खुलेगा तो, या तो हानि होगा, या तो लाभ होगा। हमारे गांव के सदस्य जनता ये चाहती है कि हमारे गांव में लाभ ज्यादा हो। अभी तक प्रदर्शन करे होते तो हमारे गांव में नेशनल हाईवे खुल जाता। हम लोग करे तो करे क्या। मैं इसलिए चाहता हूॅ कि गांव में जो प्लांट खुल रहा है उसको खुलने दो। **लगातार शोर–शराबा हो रहा है। (जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा है। जन समूहो द्वारा प्लांट लगाना बंद करो, बंद करो। के नारे लगाये जा रहे है।)**

33. **श्री रामेश्वर वैष्णव, ग्राम–हाथीटिकरा :–** बहुत बडी की खुशी है कि, बेरोजगारो को रोजगार मिल रहा है। इसका लाभ आदमी को मिलना चाहिए। जब प्लांट खुल रहा है, तो किसी को क्षति नहीं चाहता। उसका नुकसान हो जाये। एक आदमी मकसद लेके चलता है आगे बढने के लिए, छोटा से कैसा बडा बनना है। वही मुद्दा लेकर जनता के सामने आता है। जनता के सामने विचार–विमर्श करना पडता है। जनता लोग कैसे खुश रहेगें। मैं दो शब्द में यही बोलन चाहता हूॅ। जो काम कर रहे है अच्छा काम कर रहा है मै समर्थन देना चाहता हूॅ। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट लगाना बंद करो, बंद करो। के नारे लगाये जा रहे है।)**

34. **श्री राधेश्याम कुमार धीवर, ग्राम–जावलपुर :–** श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट प्रा0 लि0 खुलना चाहिए। मैं समर्थन देता हूॅ। प्लांट खुलेगा तो आसपास के कच्ची सडक को हमारे प्लांट प्रबंधक द्वारा बनाई जायेगी। स्कूल, हास्पिटल को देखते हुए काम कराई जायेगी, जो आस–पास के बेराजगार लोग है उनको रोजगार मिलेगा। जो बाहर जा रहे है उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। इसलिए प्लांट खुलना चाहिए। इसका समर्थन देता हूॅ। पीछे के जन समूह द्वारा शोर–शराबा किया जा रहा है। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट लगाना बंद करो, बंद करो। के नारे लगाये जा रहे है।)**

35. **श्री वैद्य, ग्राम–अमरताल :–** हमें प्लांट खुलने में समर्थन पूर्ण है।

36. **श्री अरविंद दास ग्राम–अमरताल :–** प्लांट में समर्थन देता हूॅ। अभी इतनी बडी समस्या है बेरोजगारी। अभी हजारो भाईयो बेरोजगार घूम रहे है। सबसे बडी समस्या है। प्लांट निर्माण से हमारो युवा भाई को रोजगार मिलेगा। इसलिए निर्माण में समर्थन देता हूॅ।

37. **श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम–मुडपार :–** मैं इस प्लांट का विरोध करता हूॅ।

38. **श्री कीर्तिपाल पटेल, ग्राम–मुडपार :–** जो हमारे गांव में सीमांकन किया गया है। किस आधार पर एनओसी के आधार पर किया गया है। ये पूछने का अधिकार है मुझे। हमारे गांव में प्रदूषण होगा। जो हमारे खेती बाडी में नुकसान होगा। उसका भविष्य में नुकसान न होने की गारंटी लिखित रूप में जो एनओसी पास करेगा। वो हमको लिखित रूप में देना चाहिए और मैं इस प्लांट का पूर्ण विरोध करता हूॅ।

39. **श्री सुरेश कुमार पटेल, ग्राम–हाथीटिकरा :–** इस प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

40. **श्री मनोज भारद्वाज, ग्राम–अमरताल :–** आज से 20 साल पहले ग्राम–अमरताल से 80 प्रतिशत लोग कमाने खाने जाते थे। कोई पंजाब जाता था, कोई गुजरात जाता था, वो ही बिमारी से वही पर कोई और घटना से खत्म हो जाते थे। उसका लाश अमरताल में आता था। 99 प्रतिशत लोग को अमरताल में नौकरी मिला है। आदमी गरीबी से तो जी सकता है लेकिन भूखमरी से नहीं जी सकता है। इसलिए ये जो प्लांट है उसका मैं स्वागत करता हूॅ। प्लांट हर हाल में खुलना चाहिए। बच्चो लोग को युवाओं लोग को रोजगार मिलना चाहिए। यही मैं आशा करता हूॅ और उम्मीद करता हूॅ। प्लांट हर हाल में खुलना चाहिए। **जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के नारे लगाये जा रहे थे।)**

41. **श्री अजीत कुमार पटेल :–** समर्थन में हूॅ, ये प्लांट बढना चाहिए। **जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट के दलालों को, जूता मारो सालो को, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

42. **श्री गयाराम पटेल, ग्राम–मुडपार** :– पहली बात ये है कि हम लोग को पता नहीं रहीस। कम से कम सरपंच के द्वारा ये लईका सियान ला पूछ लेना रहीस हे। ऐसे सोचत हन कि तुमन के क्या राय हे। राय भी नहीं लिस, ये भी मनमानी हो गईस। हमर दाई–ददा वोई भाटा देख के बसे रहीस हे। बहुत रकबा नहीं है लगभग 635 है। जेमा 400 खेती है ये दे प्लांट लग गये तो भाटो भी गये। नंबरी हो गये, हमन बेजा कब्जा करके अपन लोग लईका का पोसत रहेन। आज कोई ला नई पूछीस। बिना जन सुनवाई के करा दिस, ये गुंडागर्दी नई हवय। कम से कम किसान मन ला जानकारी होना रहिस हे। न्याय मा अपन मैलिक अधिकार मा लडते। मोर दाई ददा यहां भुईयां देकर बसे हे। तै कैसा कब्जा कर लिये, अधिकार तो मोर बनथे। मोई दाई–ददा के समय से। जेन यहां जन सुनवाई रखे हे, समस्या कहां के है मुडपार के है, दुख मुडपार ला झेलना है मुडपार के जमीन गये हवय, तो अकलतरा मे करे हवय। तो मैं ऐखर विरोध करत हव और ये जन सुनवाई को ये कने से खत्म करना है और ये मुडपार मा होवय, और ये मुडपार मा होवय। (**जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये जा रहे थे।)**

43. **श्री जयदीप सिंह, अकलतरा :–** सबके यही प्रश्न है सर, जो प्लांट खुलत हे वो मुडपार मा खुलत हे। अकलतरा मा ऐखर काहे को जन सुनवाई होवत हे। अकलतरा में नहीं होना चाहिए। जो झेलना है मुडपार वाला मन ला झेलना है, अकलतरा वाला मन ला नहीं झेलना है। अकलतरा तो पूरा प्लांट से घेरा गईस हे। झेल डाले हन और झेलत भी हन। मुडपार के आदमी मन वो मन अपन समर्थन दे।

हॉ बोली तो हा, न बोली तो न। मुडपार वाला बोलिस तो समर्थन है। नई बोलिस तो समर्थन नहीं है। गांव वाला मन ला समर्थन है तो है, नई है तो नहीं है। **(श्रवण कुमार चौरसिया, मुडपार – मैं कहत हव गांव के पंच सरपंच आये हे तेला सुनिहा। गांव मा हमन पंच ला सियान मनथन। गांव मा सरपंच ला सियान मनथन और गांव में वही मन सियान हे। जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। प्लांट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे थे।)**

44. **श्री निलेश कुमार पटेल, ग्राम–मुडपार :–** यहां प्लांट नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहां तीन फसल उगता है। पहला धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा बाडी अकलतरा मंडी में, जांजगीर मंडी में प्रतिदिन 15 से 20 क्विंटल सब्जी मंडी में आता है। आप देख सकते है। वहां कितना सब्जी लगता है, फसल लगता है। उसका भारी नुकसान पडेगा। प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

45. **श्री निलेश कुमार पटेल, ग्राम–हाथीटिकरा :– आसपास के क्षेत्र में देखता हूँ तो** बेरोजगारी बहुत बडी समस्या है। जिससे ये प्लांट खुलने से बेरोजगारी हटता है। तो ये प्लांट खुलना चाहिए, प्लांट के समर्थन में खडा हूँ।

46. **श्री रवि कुमार केंवट, ग्राम–मुडपार :–** बंजर जमीन कितना है, उपजाऊ जमीन कितना है। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये जा रहे थे।)**

47. **श्री सतीश कुमार दुबे, ग्राम–अमरताल :–** मैं प्लांट के समर्थन में हूँ, गरीबी दूर होगा, मेरे गांव में भी प्लांट लगा है। इसलिए प्लांट लगना जरूरी है। प्लांट लगेगा ही लगेगा। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये जा रहे थे।)**

48. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** हमर गांव में कतका कन जमीन हे। हमर गांव में नंबरी जमीन है क्यों भाटा ला देबो। पेड लगे रहीस हे सबो ला उखडवा दिस। चारो ओर हाता ला घेरवा दिस हे, तो कहां से जाबो सर। पानी बर तरस रहे है। आने गांव के आदमी है साहब, हमर गांव के आदमी नहीं है तभी समर्थन करत हे। सब बाहर–बाहर गांव के आदमी हे। **ऐखर हमन पूरा विरोध करथन। एमन आही गांव मा तो हमन रहबो। पूरा बिहार के आदमी आ जाही। (जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को, जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को के नारे लगाये जा रहे थे।)**

49. **श्री बरेठ, ग्राम–अमरताल :–** खुलने में समर्थन हूॅ।

50. **श्री गुड्डू कुमार साहू, ग्राम–बोडसरा :–** मैं प्लांट का समर्थन करता हूॅ। क्योंकि इसमें रोजगार मिलेगा। आपने आस–पास के लोगों को काम मिलेगा।

51. **श्री दूजराम, ग्राम–तिलई :–** मैं इस प्लांट का घोर विरोध कर रहा हूॅ। क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान है फायदा तो होने वाला नहीं है। (**जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, प्लांट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे थे।)**

52. **श्री संतोष :–** प्लांट खुलने का मैं समर्थन करता हूॅ। (**जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई निरस्त करो, निरस्त करो, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

53. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** मैं प्लांट करने का समर्थन करता हूॅ।

54. **श्री भारत यादव :–** समर्थन करता हूॅ।

55. **श्री विनोद यादव, ग्राम–मुडपार** :– रोजगार मिलेगा ऐसा बोल रहा है। हम खेती में जी जायेंगे। हम बाहर नहीं जायेंगे, किसी का काम नहीं करेंगे। हमारे खेती में हम जी जायेंगे। प्लांट खुलने नहीं देंगे। जिसके पास पैसा है आदमी लाया है खरीद कर। ये खुलेगा तो गरीब को नुकसान तो होगा। प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

56. **श्री योगेश कुमार केवट, ग्राम मुडपार :–** मैं प्लांट के विरोध करत हव।

57. **श्री भुनेश्वर पटेल, ग्राम–मुडपार :–** इस प्लांट का विरोध करता हूॅ।

58. **श्री दिलेश्वर यादव, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट के विरोध करत हव। हमन ला प्लांट नहीं चाहिए। ये जो कार्यक्रम रखे हे, वोला निरस्त होना चाहिए।

59. **श्री करण पटेल, ग्राम–मुडपार :–** मैं प्लाट का विरोध कर रहा हूॅ।

60. **श्री विक्की पटेल, ग्राम–मुडपार :–** मैं ये प्लांट के सख्त विरोध करत हव। गांव मा बहुत बेरोजगारी हे, और भी तो प्लांट ओखर ओमा उन मन कितने लोग काम करत हे। जैसे प्लांट खुलही इमन ला रोजगार नहीं मिलही, बाहर से आदमी आही उही मन ला देही। लोकल मन ला काम नहीं मिलय। ये प्लांट के मैं सख्त विरोध मा हव।

61. **श्री चंद्रशेखर पटेल, ग्राम–मुडपार :–**प्लांट के सख्त विरोध मा आये हन। जमीन के दलाल मन सब कोई ग्राम पंचायत मुडपार वाले मन ला साईन कराईस, धोखा मा प्लांट ला नहीं लगन देन, प्लांट लगही तो मोर लाश लगही। प्लांट ला सब ला धोखा देके एनओसी लगाईस। सख्त प्लांट के विरोध करत हव।

62. **श्री शिव कुमार पटेल, ग्राम–मुडपार** :– मैं प्लांट के विरोध करत हव।

63. **श्री महेन्द्र सिंह :–** प्लांट के सख्त विरोध करत हव।

64. **श्री रोहित कुमार पटेल ग्राम :–** मैं प्लांट के सख्त विरोध करत हव।

65. **श्री ललित कुमार बघेल, ग्राम–बडोद :–** प्लांट के विरोध करत हव।

66. **श्री शत्रुघन कुमार पटेल :–** मैं प्लांट के सख्त विरोध करत हव।

67. **श्री मनमोहन यादव, ग्राम–हाथीटिकरा :–** प्लांट बढना चाहिए।

68. **श्री सरोज कुमार, ग्राम–अमरताल :–** प्लांट खुलने में समर्थन हूॅ।

69. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

70. **श्री शांतिलाल पटेल, ग्राम–मुडपार :–** जो भैया बोले हे प्लांट खुलना चाहिए। ओखरे गांव मा जाकर प्लांट खोलवाबो। प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

71. **श्री मोतीराम पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

72. **श्री केवट, ग्राम–मुडपार :–** हमको प्लांट नहीं चाहिए।

73. **श्री परसराम पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट का विरोध करता हूॅ।

74. **श्री नंदराम पटेल, ग्राम–मुडपार :–** मैं विरोध करता हूॅ।

75. **श्री बृजमोहन पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

76. **श्री किसन केवट :–** प्लांट खुलने का सहयोग करता हूँ।

77. **श्री राम कुमार :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए। प्लांट बंद करो, बंद करो। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

78. **श्री इतवारी पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट खुलना चाहिए।

79. **श्री दीपक कुमार यादव, ग्राम–बोडसरा :–** प्लांट खुलना चाहिए।

80. **श्री भूपेन्द्र :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

81. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– प्लांट खुलने में सहमति देता हूँ।

82. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** समर्थन करता हूँ।

83. **श्री दास :–** एथेनॉल प्लांट का समर्थन करता हूँ। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

84. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :– समर्थन है। (जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, प्लांट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे थे।)**

85. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** समर्थन है। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, प्लांट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे थे।)**

86. **श्री अजय पटेल, ग्राम–मुडपार :–** प्लांट नहीं खुलना चाहिए। मैं विरोध करता हूँ ग्राम पंचायत मुडपार में प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

87. **श्री नंद कुमार, ग्राम–हाथीटिकरा :–** मैं प्लांट को सहमत दे रहा है। प्लांट खुलना चाहिए।

88. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** प्लांट का समर्थन करता हूँ। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को, जमीन के दलालों को, जूता मारो सालो को के नारे लगाये जा रहे थे।)**

89. **श्री शांति कुमार डहरिया, ग्राम–अमरताल :–** हमर क्षेत्र मा कंपनी खुलत हे। हमर युवा साथी ला बेरोजगार के अवसर मिलही। काबर की मैं स्वयं बेरोजगार हव। बेरोजगार मन ला समझते हुऐ मैं प्लांट खुले का समर्थन करत हव। **(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, के नारे लगाये जा रहे थे।)**

(जनता द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जन सनुवाई बंद करो, बंद करो, के नारे लगाये जा रहे थे।)

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 41 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 89 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 60 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा